संख्या- 63/2017/748/71-1-2017-जी-33/2017

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 31 मार्च, 2017

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के लिए वाहन क्रय किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2016-17/1112, दिनॉक 29-03-2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद हेतु मोटर गाड़ी के क्रय हेतु डी0जी0एस0एन0डी0 रेट पर मै0 इलडी मोटर्स 2 द्वारा आपूर्ति की जाने वाली टवेरा गाड़ी के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 8,46,000/- (रू0 आठ लाख छियालीस हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी कार्य/मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्य/मद में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3- मोटर गाड़ी के क्रय आदि के संबंध में क्रय नियमों, प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-40-मेडिकल कालेज, इलाहाबाद-14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-347/दस-2017, दिनॉक 31 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 63/2017 / 748(1)/71-1-2016 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।